वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर दृष्टिहीनों के प्रति जागरूक कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन

* डॉ. योगिन्द्र

आरम्भ में मनुष्य अविकसित तथा असभ्य था। वह पशुओं के समान जीवन व्यतीत करता था। धीरे–धीरे उसने संगठित होकर रहना सीखा और अपना विकास किया। इस प्रकार छोटे–छोटे समाज का विकास होता रहा। समाज में हमेशा से ही वर्ग उपस्थित रहे हैं। चाहे वह वर्ग व्यवस्था आर्थिक कारणों से हो अथवा सामाजिक कारणों से। सामाजिक वर्ग विभेद का कारण जातीय तथा शारीरिक रूप से पिछड़े हुए अथवा अगंहीन बनें।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः उसे समाज में रहना अति आवश्यक है। समाज में हमेशा से ही अंगहीनों के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रहा। दृष्टिहीन भी इसी वर्ग में आते है। सम्भवतः उनके प्रति उपेक्षा का कारण अंगहीनता तथा इसके कारण इनका सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाना रहा है। धीरे–धीरे समाज का आकार बड़ा होता गया। जिसके कारण इसमें जटिलता आ गई। प्राचीन समय में शिक्षा विभिन्न तरीकों से दी जाती थी। क्योंकि उस समय आज की तरह विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि नहीं होते थे। इसलिए जंगलों, धार्मिक स्थानों व राजाओं के दरबारों में ही शिक्षा देने का कार्यक्रम होता है। साधनों की कमी के कारण गिने–चुने व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। उस समय शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। उदाहरणार्थ यूरोप के अरि टोक्रेटस तथा भारत के ब्राहम्ण ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे। जिसके परिणामस्वरूप अशिक्षित लोग ही कमजोर तथा पिछड़ा वर्ग में माने जाने लगे। इस कमजोर वर्ग में वह वर्ग भी आता था। जिसमें किसी प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक विकलांगता थी। लेकिन जैसे–जैसे समाज का विकास होता गया वैसे–वैसे समाज में शिक्षा का प्रसार भी होता गया तथा समाज के कमजोर वर्गों की तरफ भी जोकि शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर अथवा विकलांग होते थे, ध्यान देने की कोशिश की गई। क्योंकि शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी समाज का एक अहम हिस्सा होत हैं, तथा वे भी समाज के विकास में अन्य व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं। शारीरिक तथा मानसिक व्यक्ति भी अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर न रहकर, आजीविका का आवश्यकता महसूस करता है।

समाज में इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षित करने का विचार किया। इस वर्ग में नेत्रहीन वर्ग भी आता है। जिसके लिए शिक्षा का कोई विशेश प्रबंध नहीं था। वह प्रायः उपेक्षित तथा आत्ममलीन जीवन बिताता था। उसका क्षेत्र घर की चारदीवारी या धार्मिक स्थानों तक ही सीमित था। जीवन के अन्य क्षेत्र उसके लिए प्रायः निशेध ही थे। विज्ञान तथा तकनीकी साधनों के अथाव के कारण भी इस वर्ग को शिक्षित करने तथा समाज में उसके उचित नियोजन के लिए प्रयत्नों को गति देने में भी बाधा उपस्थित होती थी। उच्च कुलोत्पन कुछ विशिशट नेत्रहीन व्यक्ति तथा कुछ विशिशट अन्तः प्रज्ञा से मुक्त परिश्रमी व्यक्तियों ने समाज में अपने सुस्थापन के लिए मार्ग प्रशस्थ कर लिया। परन्तु स्वस्थापन के ये प्रयत्न मुख्यतः धार्मिक तथा साहित्यिक क्षेत्र में ही हुए। धृतराष्ट्र, होमर, मिल्टन आदि विश्व के कातिपय उल्लेखनीय व्यक्ति इसी प्रकार के है। परन्तु ये व्यक्ति किसी भी रूप में तत्कालीन सामान्य दृष्टिहीन का प्रतिनिधित्व नहीं करते जो साधनों के अभाव में तथा सामाजिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप अपेक्षा का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दृष्टिहीनों को शिक्षा देने के लिए कोई साधन नहीं था, क्योंकि पुस्तक में छपा शब्द इनके लिए उसे पढना या उसे लिखना असम्भव था। इसलिए इन्हें शिक्षित करना बड़ा ही कठिन कार्य होता था। ठीक ही कहा गया है–कि आवश्यकता आवि कार की जननी है, ''जहाँ चाह वहाँ राह''। यही दृष्टिहीनों के साथ भी हुआ। विज्ञान ने जो बौद्धिक चेतना जगाई उसके फलस्वरूप दृष्टिहीन भी अपने शैक्षिक विकास के लिए स्वयं प्रयत्नशील हुए।

जिसका उन्हें अपेक्षित फल भी प्राप्त हुआ। **लूईस ब्रेल** नामक एक दृष्टिहीन फ्रांसीसी ने दृष्टिहीनों की शिक्षा के माध्यम के रूप में अध्यापकीय जीवन के समय ऐसी पद्धति का आविश्कार किया, जिसे **ब्रेल पद्धिति** का नाम मिला। आज जो सम्पूर्ण विश्व में नेत्रहीनों की शिक्षा का स्वीकार्य माध्यम है। आज विश्व का कोई कोना ऐसा नहीं जहां इस विधि के माध यम से दृष्टिहीनों को शिक्षित करने के लिए विशेश शिक्षण संस्थाऐं कार्यरत न हो। इस महान कार्य में कतिपय संवेदनशील, उदारचेता, समाज–सुधारकों, मनोंचिकित्सकों आदि का सहयोग भी अवश्य मिला। दृष्टिहीनों की शिक्षा के लिए विश्व का सबसे पहला विशेश विद्यालय अठारहवीं शताब्दीं के अंत में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थापित हुआ। ब्रेल लिपि के अविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म 1809 ई0 में और मृत्यु 1852 ई0 में हुई। इसी विद्यालय के छात्र और तदन्तर अध्यापक रहे। तत्पश्चात् यूरोप और अमेरिका में भी दृष्टिहीनार्थ विशेश विद्यालयों की स्थापना का क्रम चल पड़ा। अमेरीका में पैकिंगज शहर में 1837 ई0 में स्थापित अन्धविद्यालय इन विशेश विद्यालयों में उल्लेखनीय है। अंग्रेजों ने धीरे–धीरे उन देशों में दृष्टिहीनार्थ शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जिन देशों में उनका शासन था। इसी क्रम में 1887 ई0 में भारत में भी पहले दृष्टिहीनार्थ विद्यालय की स्थापना अम तसर में हुई, और लगभग पिछले सौ वर्षों में यह संख्या 250 तक पहुंच गई हैं। जो विभिन्न आयु

* एस.जे.एस. इन्टरनेशनल कॉलेज ऑफ एजूकेशन दिकाला कॉम्पैलक्स समालखा पानीपत हरियाणा

वर्गों के दृष्टिहीनों को शिक्षित करने का व हद कार्य करते रहे हैं। इन विशेश शिक्षण संस्थाओं में National Institute for Blind"Dheradhoon जो शिक्षा के अतिरिक्त संगीत, हस्तकला आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

विशय का औचित्य–इस अध्ययन का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग दृष्टिहीनों के प्रति अच्छे विचार नहीं रखता। समाज में इनके प्रति बहुत सारी गलत धारणाऐं है। कुछ इन्हें दया का पात्र तथा कुछ व्यक्ति तो इन्हें अभिषाप तक मानते है। समाज में इस प्रकार की दृष्टिहीनों के प्रति धारणाऐं गहन चिन्तन का विशय है। जिसमें उनके व्यवहार में तथा व्यक्तियों में जाग ति पैदा करनी चााहिए तथा दृष्टिहीनों को समाज का अभिन्न अंग समझना चाहिए। इस अध्ययन का औचितय इस बात में निर्मित है कि आजकल विकलांग बच्चों को संयुक्त शिक्षा के द्वारा शिक्षित करने की बात जोरों पर है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब जागरूक कार्यक्रम, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं, श्रव्य–दृभय सामग्री तथा विकलांग बच्चों के प्रति समाज के सकारात्मक रूख से ही सम्भव हो सकता है। जब तक विकलांग व्यक्तियों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच या अभिव ति को जड़ से खत्म करें तथा इसमें काफी हद तक जागरूक कार्यक्रम तथा मीडिया के माध्यम से समाज का दृष्टिहीनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बदलने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रयुक्त भाब्दों की व्याख्या

प्राभावः–किन्हीं विषेश परिस्थितियों या कार्यों के द्वारा पैदा किया गया बदलाव।

जागरूकताः–विषेश कार्यो से विषेश प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना।

जागरूक कार्यक्रम–जागरूक से अभिप्राय व्यक्ति की सोच में परिवर्तन लाना है जिसमें पोस्टर, सूचना पोस्टर, दृभय–श्रवण साधन, फिल्म व भाशा के द्वारा किसी विषेश समस्या, वस्तु या क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रम प्रायः समूह के रूप में दिये जाते है।

द शिटबाधित व्यक्ति–द शिटबाधित व्यक्ति वह होता है जिनकी द शिट तीक्षणता 20/200 से कम हो अंधा या दृष्टिहीन समझा जाएगा अर्थात् एक व्यक्ति समान्य दृष्टि से यदि किसी वस्तु या पदार्थ को 200 फुट की दूरी से देख सकता है। उसी वस्तु या पदार्थ को ऐसा व्यक्ति मात्र 20 फुट या 10 फुट की दूरी में देख सकता है तथा उसकी द शिट क्षेत्र की परिधि मात्र 20 अं का कोण केन्द्र से बनाती है। इसी सीमित दृष्टि को ही दृष्टिबाधित कहते है।

उद्देश्यः–

1. जागरूक कार्यक्रम के पश्चात् दृष्टिहीन बालकों के विशय में छात्रों में कितनी जागरूकता आ सकती है।

2. भिन्न–भिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों में दृष्टिबाधितों के प्रति प्रचलित दृष्टिकोण में जागरूक कार्यक्रम के बाद बदलाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाः

1. छात्रों में दृष्टिहीनता के बारे में जागरूकता होगी।

2. विद्यार्थियों में दृष्टिबाधितों के विशय में सकारात्मक दृष्टिकोण होगा।

पद्धति तंत्र–यह अध्ययन हरियाणा के कुरुक्षेत्र भाहर के भाासकीय एवं अशायकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं पर किया गया है। कुल विद्यालयों में से 6 विद्यालयों को न्यादर्श में भाामिल किया गया। न्यादर्शा का चुनाव स्तरीय यादृश्टिछकीय प्रतियपन (stratified random sampling) द्वारा किया गया।

उपकरण–प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं का अभिमत प्राप्त करने के लिए। दृष्टिहीनों के प्रति जागरूक काय्रक्रम का प्रभाव ''का प्रयोग किया गया। जिसे भाोधकर्ता ने स्वतः निर्मित किया।

न्यादर्श तालिका

क्रम संख्या	विद्यालयों का स्वरूप	छात्रों की संख्या छात्र	छात्रायें	कुल
1.	युनिवर्सिटी सीनियर सैकेण्डरी मॉडल स्कूल विद्यालय	17	8	25
2.	राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय	25	–	25
3.	गीता निकेतन आवासीय विद्यालय	14	11	25
4.	श्रीमद् भागवत् गीता वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय	25	–	25
5.	आर्य कन्या विद्यालय	–	25	25
6.	राजकीय कन्या वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय	–	25	25

संख्यिकी तकनीक का प्रयोगः–आंकड़ों का विश्लेशण तथा व्याख्या करने के लिए माध्यमान, मानक विद्यालय तथा टी–टैस्ट तकनीक का प्रयोग किया। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेशण और व्याख्या टी–टैस्ट के आधार पर की गयी।

सार्थकता स्तर की जाँच तालिका
यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेण्डरी मॉडल स्कूल

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	17.04	3.53	2.33	Significant of 0.5 level
पश्चात	25	20.10	5.74		

राजकीय वरिश्ठ माध्यमिक विद्यालय

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	16.88	3.72	5.73	Significant of 0.01&0-05 level
पश्चात्	25	2.40	3.03		

गीता निकेतन आवासीय विद्यालय

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	18.00	3.6	3.05	Significant of 0.01&0-05 level
पश्चात्	25	21.48	4.41		

श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	15.76	3.92	4.6	Significant of 0.01&0-05 level
पश्चात्	25	24.04	2.22		

आर्य कन्या विद्यालय

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	16.76	3.25	1.49	Significant of 0.01&0-05 level
पश्चात्	25	18.04	2.81		

राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मान	सार्थकता स्तर
पूर्व	25	18.00	3.6	3.36	Significant of 0.01&0-05 level
पश्चात्	25	121.84	4.44		

विवेचन एवं निष्कर्ष–1. यूनिवर्सिटी सीनियर सैकेण्डरी मॉडल स्कूल की तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है। छात्र एवं छात्राओं की सांख्यकीय गणना द्वारा प्राप्त टी–मान 2. 33 पापा गया है। यह 0.05 सार्थकता स्तर के निर्धारित सारणी मान 1.96 से अधिक है लेकिन 0.01 सार्थकता स्तर के निर्धारित सारणी मान 2.58 से कम है। अतः छात्रों के विचारों में दृष्टिहीनों के प्रति पूर्व तथा पश्चात् जागरूक कार्यक्रम का प्रभाव सार्थकता पूर्ण रहा। 2. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गीता निकेतन आवासीय विद्यालय, श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राओं की सांख्यकिय गणना द्वारा प्राप्त टी–मान 5.75, 3.05, 4.6 तथा 3.36 मापा गया है। यह 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के निर्धारित सारणी मान 1.96 साथ 2.58 से अधिक है। अतः छात्रों के विचारों में दृष्टिबाधितों के प्रति पूर्व तथा पश्चात् जागरूक कार्यक्रम का प्रभाव सार्थकता पूर्ण रहा।

3. आर्य कन्या विद्यालय की तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्राओं की सांख्यकिय गणना द्वारा प्राप्त टी–मान 1.40 मापा गया है। यह 0.05 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के निर्धारित सारणी मान 1.96 तथा 2.58 से कम है। अतः छात्रों के विचारों में दृष्टिबाधितों के प्रति पूर्व तथा पश्चात् जागरूक कार्यक्रम का प्रभाव सार्थकता पूर्ण नहीं रहा।

सुझाव–प्रस्तुत अध्ययन के दौरान प्राप्तांकों के विश्लेषण एवं निष्कर्षों के आधार पर जो तथ्य उभर कर सामने आये है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यालयों के छात्र–छात्राओं में जागरूक कार्यक्रम के दौरान दृष्टिबाधित बालकों के प्रति उचित जानकारी का अभाव रहा। इसका कारण हो सकता है कि छात्र–छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान विशयों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना होगा या समझने में असफल रहे होंगे, या यह भी हो सकता है कि अध्यपनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोस्टर, बुकलैट तथा भाशण आदि इतने प्रभावशाली न हो जो छात्र–छात्राओं के विचारों में सार्थकता पूर्ण बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते है जैसे–छात्र–छात्राओं की धार्मिक प्रकृति, संकीर्ण मनोवृति, अंधवि वास के साथ–साथ जन संचार के नवीनतम माध्यमों, नवीन खोजों व अनुसंधानों की जानकारी का अभाव।

इस प्रकार यदि इस दिशा में छात्र–छात्राओं को नवीन खोजों व नवीन तकनीकों को जन संचार माध्यमों द्वारा जागरूक कर दिया जाय तो वे स्वंय अपने स्वस्थ दृष्टिकोण की आधारशिला रख पायेंगें। आवश्यकता इस बात की है कि छात्र–छात्राओं के विशय पाठ्यक्रम में दृष्टिबाधितों से संबधित शिक्षा की विषय सामग्री को जोड़ने से उनमें जागरूकता खुद–ब–खुद बढ़ जाएगी। इस प्रकार छात्रों में दृष्टिबाधितों के प्रति प्रचलित धारणाओं को काफी हद तक कम करने में सफलता प्राप्त होगी।

संदर्भ–

1. कौशिक, वी.एन. (1977) विकलांग शिक्षा, जयपुर हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. कौल, लोकेश (1998) भौक्षिक अनुसंधान की कार्य प्रणाली, विकास पब्लिर्श, नई दिल्ली।
3. क्रि और मलैंगट (1986) विशिष्ट बच्चों की शिक्षा, भलोट प्रिटिंग, बोस्टन।
4. दोसाझा, एन. एल. (1979) समाचा बालक, चण्डीगढ।
5. वोल्टज (1989) चिल्ड्रन्स ऐटीटपूड टूवर्डस हैन्डी कैप्ट पीयर्स, अमेरिकन जरनल्स आफ मेन्टल डेफिसियेन्सी।
6. गुरमीत कौर (1967) हरियाणा में भारीरिक, मानसिक व सामाजिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सुविधियें–एक सर्वेक्षण
7. डा0 महेश भार्गव (1998) विशिष्ट बालक, प्रिंट पैलेस, कमला नगर, आगरा।